आ० 19.5.14

(87)

1762 15-5-14

अतिआवश्यक / वित्तीय स्वीकृति प्रकरण / महत्त्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यकम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा, फिराजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ चित्रकूट, कुशीनगर, व सोनभद्र।

पत्रांक–प0क(9) / अ–अ–70(NUHM)2014–15 / लखनऊः दिनांक–09 अप्रैल 2014

विषयः– नेशनल अरबन हेल्थ मिशन के अन्तर्गत शहरी स्वास्थ्य इकाईयों को अरबन पीएचसी के रूप में सुद्धढ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–प0क / 13 / एनयूएचएम / अरबन पीएचसी / स्थापना / 2013–14 / 6342–75, दिनांक 03 जनवरी 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिन शहरी स्वास्थ्य इकाईयों को अरबन पीएचसी में सुद्धढ किया जाना है, उन शहरी स्वास्थ्य इकाईयों के स्थलीय निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर एक टीम जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी एनयूएचएम, विभाग के अवर अभियन्ता व पीडब्लूडी के सहायक अभियन्ता सम्मिलित हो, गठित करने के निर्देश दिये गये थे। साथ ही आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि अपने जिला अधिकारी को कार्य की महत्ता एवं तथ्यों से अवगत कराते हुए पीडब्लूडी के सहायक अभियन्ता को नामित करने की शीघ्र कार्यवाही की जाये। सम्भवतः आप द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी। यहॉ उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सरकारी भवनों में संचालित कुल 59 शहरी इकाईयॉ (अरबन हेल्थ पोस्ट) जिनका विवरण संलग्न है, को अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0–10.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से धनराशि अनुमोदित की गयी है। इस सन्दर्भ में दिनांक 25 फरवरी 2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जनपदों में पूर्व से स्थापित शहरी इकाईयों (अरबन हेल्थ पोस्ट) को अरबन पीएचसी के रूप में सुद्धढ किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार रिनोवेशन हेतु इकाईवार कार्यो का विस्तृत आगणन तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

GM(UH)

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में पूर्व से स्थापित शहरी इकाईयों (अरबन हेल्थ पोस्ट) जिनके विवरण संलग्न है, को अरबन पीएचसी में सुद्धढ किये जाने हेतु उन शहरी इकाईयों का जनपद स्तर पर गठित उक्त टीम से स्थलीय निरीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार वांछित रिनोवेशन कार्यो का विस्तृत आगणन भारत सरकार द्वारा अनुमन्य लागत सीमा रू0–10.00 लाख के भीतर तैयार कर दिनांक 15 मई 2014 तक अनिवार्य रूप से महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहॉ उल्लेखनीय है कि महानिदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 03 जनवरी 2014 द्वारा पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन शहरी स्वास्थ्य इकाईयों में पर्याप्त स्थान नहीं है, ऐसी इकाईयों का सुद्धढीकरण न कराया जाये एवं अरबन पीएचसी हेतु उपयुक्त भवन मलिन बस्ती अथवा उसके नजदीक किराये पर लेकर संचालित की जाये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इन अरबन पीएचसी से वाह्य रोगियों की देखभाल, प्रसव पूर्व महिला की देखभाल, प्रसव पश्चात देखभाल, बच्चो का टीकाकरण एवं अन्य परिवार कल्याण सेवायें आदि सुविधायें प्रदान की जानी है। अतएव इकाईवार आगणन तैयार

BH
15/5/14

किये जाने के समय इन तथ्यों को अनिवार्य रूप से स्मरण में रखा जाये तथा उक्तानुसार निर्मित भवनों में पार्टीशन आदि कर स्पेस किएट किये जाये तथा प्रथम चरण में विशेषतः जल सम्पूर्ति / जल मल सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जाये, न कि उच्च विशिष्टियों जैसे टाइल्स, फाल्ससिलिंग आदि को महत्व दिया जाये।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उपवर्णित धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है तथा जनपदों से कार्य स्थलवार आगणन प्राप्त होने पर उन्हें परीक्षित कर एनआरएचएम को स्वीकृति हेतु भेजना है। तत्पश्चात ही एनआरएचएम मुख्यालय द्वारा धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जायेगी। अतः प्राथमिकता के आधार पर आगणन महानिदेशालय को विलम्बतम 15 मई 2014 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यद्यपि परिपत्र दिनांक 03 जनवरी 2014 में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता को आगणन गठन में सम्मिलित किया गया है। तथापि लोक निर्माण विभाग द्वारा रूचि न लेने की दशा में बगैर किसी अनावश्यक पत्राचार के विभाग के मण्डलीय सहायक अभियन्ताओं के सहयोग से आगणन गठित करवाना सुनिश्चित किया जाये

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कैलाश कुशवाहा)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या—प0क(9) / अ—अ—70(NUHM) / 2014-15 / 423-16-62 तददिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मिशन निदेशक(एनआरएचएम), एसपीएमयू, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
2— अपर मिशन निदेशक(एनयूएचएम), एसपीएमयू, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3— जिला अधिकारी, आगरा, फिराजाबाद, मैंनपुरी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़ चित्रकूट, कुशीनगर, व सोनभद्र।
4— संयुक्त निदेशक(नगरीय), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5— मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद बरेली, झासी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़, चित्रकूट, गोरखपुर व मिर्जापुर।
6— मण्डलीय सहायक अभियन्ता, कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद बरेली, झासी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़, चित्रकूट, गोरखपुर व मिर्जापुर।
7— अवर अभियन्ता, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा, फिराजाबाद, मैंनपुरी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़ चित्रकूट, कुशीनगर, व सोनभद्र।

(कैलाश कुशवाहा)
महानिदेशक

राज्य योजना एवं एनआरएचएम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (अरबन हेल्थ पोस्ट) के राजकीय भवनों का विवरण।

क्0सं0	मण्डल	जनपद	योजनावार पूर्व से संचालित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (अरबन हेल्थ पोस्ट) के राजकीय भवनों का विवरण		
			राज्य बजट से संचालित	एनआरएचएम से संचालित	योग
1	आगरा	आगरा	5	0	5
		फिरोजाबाद	2	0	2
		मैंनपुरी	0	1	1
2	अलीगढ	अलीगढ़	2	0	2
3	इलाहाबाद	इलाहाबाद	4	0	4
4	बरेली	बरेली	1	0	1
5	झांसी	झांसी	2	0	2
6	कानपुर	कानपुर नगर	6	7	13
7	लखनऊ	लखनऊ	8	6	14
8	मेरठ	मेरठ	5	0	5
9	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1	0	1
10	सहारनपुर	सहारनपुर	5	0	5
11	आजमगढ	आजमगढ	0	1	1
12	चित्रकूट	चित्रकूटधाम(कर्वी)	0	1	1
13	गोरखपुर	कुशीनगर	0	1	1
14	मिर्जापुर	सोनभद्र	0	1	1
		योग	41	18	59

F:\NRHM 2014-15